

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर

प्रार्थी :- श्री नारायणलाल

विपक्षी :- श्री भेरा

किस्म मुकदमा - 53,188 रा.का.अ.

पत्रावली संख्या : 52/17

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर वादी  
तथा सुनाने  
जारी की गई

दिनांक : 31.01.2020

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा पीडी पालना पर सहमत होकर अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा पीडी पालना पर कोई विशेष आपत्ति जाहिर नहीं की।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। वादी से बंटवाडा शुल्क 100/- अक्षरे एक सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावे।

परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा सालेराकलां पटवार हल्का सालेराकलां की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता हैं :-

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	नारायण पिता नाथु डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली, उदयपुर	732	0.10	जा.द्वि.0.04	0.40
		752/1	0.07	चा.द्वि.0.06	1.20
		753	0.10	जा.द्वि.	0.70
				जा.द्वि.0.05	0.50
				चा.द्वि.0.05	1.00
	योग	1973/1886/1	0.09	बीड	0.22
		किता 4	1.16	-	4.02
2	भेरा पिता गुमाना डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली, उदयपुर	752 मी.	0.17	जा.द्वि.0.02	0.20
		1983/755	0.10	चा.द्वि.0.15	3.00
		1973/1886 मी.	0.10	बीड	0.25
			0.10	बीड 0.09	0.23
				ढावा 0.01	-
	योग	किता 3	1.17	-	3.68
3	भेरा पिता गुमाना डांगी 1/2, चैनराम पिता तेजा डांगी 1/2 निवासी सालेराकलां तह. मावली, उदयपुर	938	0.05	खड्डा	-
		योग	किता 1	0.05	-

नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फौसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

*anubay*  
(अक्षय गोदार) (AS)  
सहायक कलक्टर  
(SDO)मावली

## अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री अक्षय गोदारा, I.A.S

मुकदमा नम्बर : 52/17 (वाद)

उनवान

1. श्री नारायणलाल पिता नाथु डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री भेरा पिता गुमाना डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।  
2. श्रीमती किरण पत्नी हिम्मतसिंह राठौड राजपूत निवासी 07 मीरा पार्क, चौराहा, उदयपुर।  
3. श्री पटवारी, पटवार हल्का सालेराकलां तह. मावली।  
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

### वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 31.01.2020 को अक्षय गोदारा, I.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा सालेराकलां पटवार हल्का सालेराकलां की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र स	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	नारायण पिता नाथु डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली, उदयपुर	732	0.10	जा.द्वि.0.04	0.40
		752/1	0.07	चा.द्वि.0.06	1.20
		753	0.10	जा.द्वि.	0.70
				जा.द्वि.0.05	0.50
				चा.द्वि.0.05	1.00
	1973/1886/1	0.09	बीड	0.22	
	योग	किता 4	1.16	-	4.02
2	भेरा पिता गुमाना डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली, उदयपुर	752 मी.	0.17	जा.द्वि.0.02	0.20
				चा.द्वि.0.15	3.00
		1983/755	0.10	बीड	0.25
		1973/1886 मी.	0.10	बीड 0.09	0.23
				ढावा 0.01	-
	योग	किता 3	1.17	-	3.68
3	भेरा पिता गुमाना डांगी 1/2, चेनराम पिता तेजा डांगी 1/2 निवासी सालेराकलां तह. मावली, उदयपुर	938	0.05	खड्डा	-
		योग	किता 1	0.05	-

नोट-उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारानं अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 31.01.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

*Ashay*  
(अक्षय गोदारा I.A.S.)  
सहायक कलक्टर  
(SDO)मावली